

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर कटनी जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक- 43 एक्सटेंशन के खण्ड चांदघाट से कटनी (गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी) मार्ग के चौड़ीकरण / निर्माण हेतु 0.98 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जबलपुर को उपयोग हेतु देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 04.05.2019
स्थान: भोपाल

(कैप्टेन आर.एस. लाल (से))
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)